Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

कर मामला क्र. 50/2008

अपीलकर्ता : भारत संघ, द्वारा आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद भवन, धमतरी रोड, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.) 492001

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मेसर्स एच.इ.जी लिमिटेड (स्पंज आयरन डिवीजन) बोरई औद्योगिक विकास केंद्र, पोस्ट रसमड़ा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपस्थितः

श्री भीष्म किंगर, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री वीरेन्द्र शर्मा एवं श्री एस.के. शर्मा, प्रत्यर्थी की ओर से।

युगल पीठ :

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं

माननीय श्री द.एन. चन्द्राकर, न्यायमूर्तिगण

(दिनांक 07/11/2009)

यह न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा दिया गया।

- अपीलकर्ता ने यह अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35-छ के अंतर्गत, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है। विधि के सारवान प्रश्नों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है ;-

- क्या यह सेनवैट उधार नियम 2002 के 2(ज), 2छ) और 6(4) का उल्लंघन होगा, यदि 2002 के सेनवैट उधार नियमों के अंतर्गत क्या उत्तरदायी को इस बात की अनुमति प्रदान की जा सकती है कि वह स्व-उत्पादित विद्युत को मध्यप्रदेश विद्युत मंडल (नवीन सी.एस.ई.बी.) की वितरण लाइनों में प्रविष्ट कर, उस पर उधार/ऋण सुविधा प्राप्त करे?
- क्या माननीय अपीलीय अधिकरण ने जो कि कारखाना के भीतर उपयोग की गई कुल आबदध उत्पन्न बिजली के अनुपात में उधार स्वीकार करने के बजाए अपेक्षित वस्तुओं को पूर्ण रूप से उद्हर की अनुमति देकर त्रुटी की है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में मामले के तथ्य, जैसा कि आयुक्त (अपील) के आदेश में वर्णित है, इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी ने अपनी कारखाना परिसर में 12.8 मेगावॉट क्षमता का एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया हुआ है। इस विद्युत संयंत्र में 3 बॉयलर हैं जो स्टीम टरबाइन और जनरेटर पर चलते हैं। इनमें से 2 बॉयलर "वेस्ट हीट रिकवरी" प्रकार के हैं, जिनमें स्पंज आयरन भट्ठी से निकलने वाली अपशिष्ट गर्म गैसों का उपयोग भाप उत्पादन हेतु किया जाता है। तीसरा बॉयलर "फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन" प्रकार का है, जिसमें कोयला, फायर, चार, डोलोचार आदि का प्रयोग ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। इन बॉयलरों से उत्पन्न भाप का उपयोग स्टीम जनरेटर चलाकर बिजली उत्पादन हेतु किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत की आंशिक उपयोग प्रत्यर्थी अपनी कारखाना में स्पंज आयरन निर्माण हेतु करते है तथा इसका एक बड़ा भाग मध्यप्रदेश विद्युत मंडल (एम.पी.इ.बी) की वितरण लाइनों के माध्यम से बाहर आपूर्ति किये जाते है।

3. जुलाई से अगस्त 2004 के दौरान, प्रत्यर्थी ने उपरोक्त ताप विद्युत संयंत्र के बॉयलरों और स्टीम टरबाइन में प्रयुक्त विभिन्न हिस्सों पर ₹1,17,852/- का

सेनवैट उधार लिया। अधीनस्थ प्राधिकारी ने उक्त सेनवैट उधार ₹1,17,852/- को अस्वीकृत कर दिया और अधिनियम की धारा 11(क)छ के अंतर्गत ₹1,17,852/- का दंड तथा सेनवैट उधार नियम, 2002 के नियम 13 तथा केंद्रीय उत्पाद नियम, 2002 के नियम 25 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 25 के तहत ₹10,000/- का दंड अधिरोपित किया। यह दंड इस आधार पर लगाया गया कि प्रत्यर्थी ने अपने संयंत्र से उत्पादित बिजली का एक भाग अपनी सहयोगी इकाई जो उनकी कारखाना परिसरों के बाहर स्थित थी, को एम.पी.इ.बी ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किया।

वे केवल उस निवेश पर उधार का दावा करने के अधिकारी थे जो उनकी कारखाना के भीतर प्रयुक्त विद्युत उत्पादन में उपयोग हुआ हो। चूंकि सहयोगी इकाई को भेजी गई बिजली का विवरण उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया संपूर्ण सेनवैट उधार अस्वीकृत कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील पर, आयुक्त ने आंशिक रूप से अपील स्वीकार की और यह अभिनिर्धारित किया प्रत्यर्थी कारखाना परिसर के भीतर उपयोग की गई बिजली की सीमा तक उधार का हकदार है। प्रत्यर्थी ने आयुक्त (अपील) सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आदेश के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष अपील दायर की। अधिकरण ने. ***कोठारी शुगर्स एंड चेमिकाल्स लिमिटेड. बनाम सीसीइ त्रिची (2006 (196) इएलटी 35)*** के मामले में दिए गए अपने निर्णय का अवलंब लेते हुए अपील स्वीकार की और यह निश्चित किया गया कि प्रत्यर्थी को मॉडवेट उधार देने से इंकार करने का कोई कारण नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा उपयोग किए गए विद्युत संयंत्र में उत्पादित बिजली का उपयोग छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में विशेष रूप से नहीं किया गया था।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री भीष्म किंगर ने यह तर्क दिया कि अधिकरण ने अपील स्वीकार करते समय यह विचार नहीं किया कि उद्धृत निर्णय में तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57-द का उल्लेख नहीं किया गया था। अधिवक्ता द्वारा उद्धृत पीठ का निर्णय पूरी तरह अपीलकर्ता के पक्ष में है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि सेनवैट उधार नियम, 2002 (संक्षेप में "नियम") के नियम 6(4) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट उधार की अनुमति नहीं दी जा सकती यदि उनका उपयोग विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में किया गया हो। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी के विद्युत संयंत्र में उत्पन्न बिजली का प्रमुख भाग उनकी सहयोगी इकाई को, जो कारखाना परिसर के बाहर स्थित है, एम.पी.इ.बी ग्रिड के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः जिन पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट उधार का दावा किया गया है, उनका उपयोग विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पाद शुल्क से मुक्त है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सेनवैट उधार का हकदार नहीं था, क्योंकि यह उधार उस अनुपात में नहीं दिया जा सकता जिसमें आबद्ध बिजली सयंत्र से उत्पन्न बिजली का उपयोग विशेष रूप से सहयोगी इकाई हेतु एम.पी.इ.बी ग्रिड से किया गया था, जैसा कि आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया।

नियम 2(ख), 2 (छ) और 6(4) का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि पूंजीगत वस्तुएं और निवेश, जिनका विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होता है, सेनवैट उधार के लिए पात्र नहीं हैं।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि नियम 6(4) के कोरे पढने मात्र से यह स्पष्ट है कि सेनवैट उधार उन पूंजीगत वस्तुओं पर अस्वीकृत किया जा सकता है जिनका उपयोग विशेष रूप

से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में किया गया हो। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी के कैप्टिव पावर प्लांट में उत्पन्न विद्युत का उपयोग अंतिम उत्पाद स्पंज आयरन के निर्माण में किया जाता है और केवल अधिशेष विद्युत को म.प्र विद्युत् मंडल को उनके ग्रिड के माध्यम से बेचा जाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पावर प्लांट में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में किया गया है।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।

8. इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी स्पंज आयरन के उत्पादन में संलग्न है और अंतिम उत्पाद उत्पाद शुल्क के अधीन है। प्रत्यर्थी के परिसरों में 12.8 मेगावॉट क्षमता का एक कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्र है, जिसमें 3 बॉयलर हैं। इनमें से 2 बॉयलर "वेस्ट हीट रिकवरी" प्रकार के हैं, जिनमें स्पंज आयरन भट्ठी से निकलने वाली अपशिष्ट गर्म गैसों का उपयोग भाप उत्पादन हेतु किया जाता है। इन बॉयलरों से उत्पन्न भाप का उपयोग स्टीम जनरेटर चलाने और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न बिजली का आंशिक उपयोग प्रत्यर्थी अपनी कारखाना में स्पंज आयरन निर्माण के लिए करता है तथा इसका बड़ा भाग एम.पी.ई.बी. (एम.पी.इ.बी) की वितरण लाइनों के माध्यम से बाहर आपूर्ति किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. नियम 2(ख), 2(छ) और 6(4) का पाठ इस प्रकार है:

“2(ख) – ‘पूंजीगत वस्तुएँ’ का अर्थ है,-

(i) वे सभी वस्तुएँ जो अध्याय 82, अध्याय 84, अध्याय 85, अध्याय 90, शीर्षक संख्या 68.02 और उपशीर्षक संख्या 6801.10 के अंतर्गत टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में आती हैं;

(ii) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण;

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट वस्तुओं के घटक, स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण;

(iv) सांचे और डाई ;

(v) रिफ्रैक्ट्री और रिफ्रैक्ट्री सामग्री;

(vi) ट्यूब, पाइप और उनके फिटिंग्स; तथा

(vii) भंडारण टैंक

जो अंतिम उत्पाद के निर्माता की कारखाना में उपयोग की जाती हैं, परंतु इसमें कार्यालय में प्रयुक्त किसी भी उपकरण या यंत्र को शामिल नहीं किया जाएगा।

**2(छ): – 'निवेश' का अर्थ है सभी वस्तुएँ, सिवाय [लाइट डीज़ल ऑयल], हाई स्पीड डीज़ल ऑयल और मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल कहलाता है), जो अंतिम उत्पादों के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होती हैं, चाहे वे अंतिम उत्पाद में सम्मिलित हों या नहीं। इसमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, कटिंग ऑयल, कूलेंट, अंतिम उत्पादों के सहायक उपकरण, अंतिम उत्पादों के साथ निकाले गए माल, पेंट के रूप में प्रयुक्त वस्तुएँ, पैकिंग सामग्री, ईंधन के रूप में प्रयुक्त वस्तुएँ, अथवा बिजली या भाप के उत्पादन हेतु प्रयुक्त वस्तुएँ सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग अंतिम उत्पादों के निर्माण या उत्पादन कारखाने के भीतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6(4): – "किसी भी पूंजीगत वस्तु पर सेनवैट उधार की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उनका उपयोग विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में किया गया हो, सिवाय उन अंतिम उत्पादों के, जो पूरी तरह से उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं और जिन पर यह छूट किसी अधिसूचना द्वारा दी गई हो, जिसमें यह छूट उस मूल्य या निकासी की मात्रा के आधार पर दी जाती है जो एक वित्तीय वर्ष में की गई हो।"

10. अधिकरण ने ***कोठारी*** (पुर्वोवत) के मामले में दिए गए अपने निर्णय का अनुसरण किया, यह प्रतिपादित किया गया था कि कैप्टिव पावर प्लांट में प्रयुक्त तथा आंशिक रूप से तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को विक्रय किए गए भाप उत्पन्न करने वाले बॉयलर के पुर्जे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 57-द के अधीन सेनवैट उधार हेतु पात्र हैं। अधिकरण ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी को संशोधित मूल्य वर्धित उधर से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं था। नियम 2(ख) के अनुसार पूंजीगत वस्तुएं का अभिप्राय ऐसे वस्तुओं से है जिनका उपयोग अंतिम उत्पादों के निर्माण हेतु निर्माता की कारखाना में किया जाता है, किन्तु इसमें कार्यालय में प्रयुक्त उपकरण सम्मिलित नहीं होते। वहीं, नियम 2(छ) के अनुसार निवेश का तात्पर्य उन समस्त वस्तुओं से है जो अंतिम उत्पादों के निर्माण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होती हैं अथवा अंतिम उत्पाद में समाविष्ट रहती हैं। वर्तमान प्रकरण में यह अपेक्षित नहीं है कि सेनवैट उधार का दावा, विद्युत उत्पादन हेतु पावर प्लांट में प्रयुक्त बॉयलरों के स्पेयर पार्ट्स के संबंध में किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अतः, इस अपील में निर्णयार्थ केवल यह प्रश्न शेष रहता है कि क्या अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी को पावर प्लांट में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुएं के संबंध में सेनवैट उधार की अनुमति प्रदान करना विधिसम्मत था, जबकि उत्पन्न विद्युत का एक बड़ा भाग (एम.पी.इ.बी) को विक्रय कर दिया गया था।

12. नियम 6(4) का स्पष्ट पठन यह इंगित करता है कि पूंजीगत वस्तुएं पर सेनवैट उधार अनुमन्य नहीं है यदि उनका उपयोग विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में किया गया हो। वर्तमान परिस्थितियों में, यद्यपि पावर प्लांट से उत्पन्न विद्युत का बड़ा अंश एम.पी.इ.बी को उसके ग्रिड के माध्यम से विक्रय किया गया, तथापि यह प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि पूंजीगत वस्तुएं का उपयोग केवल और केवल छूट प्राप्त वस्तु (विद्युत) के उत्पादन में ही किया गया है,

क्योंकि पावर प्लांट से उत्पन्न विद्युत का एक भाग प्रत्यर्थी के अंतिम उत्पाद छिद्रयुक्त धात्विकलोहा के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है, जो शुल्कयोग्य है तथा छूट प्राप्त वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता।

13. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारा यह मत है कि अधिकरण यह ठहराने में उचित था कि प्रत्यर्थी को मोडवैट उधार का अधिकार है, जो कि पूंजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध है, जिनका उपयोग प्रत्यर्थी के कैप्टिव पावर प्लांट में किया गया है, और नियम 6(4) (नियम 6(4)) इस क्रेडिट को अस्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।

14. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में न्यायनिर्णयन हेतु विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न अन्ततलित नहीं है किसी विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय नहीं है। यह अपील निराधार है तथा इसे तदनुसार ख़ारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश द. एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

---00---

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित

अभिनिर्धारित जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur